कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 1619 /33–1रोड/दिनांक, हमीरपुर, जनवरी 20 ,2020.

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त बॉदा।

विषयः–जनपद–हमीरपुर में बिलरायॉ–पनवाड़ी मार्ग (राजमार्ग संख्या–21) के चैनेज 399.600 से 427.00 (चिकासी से राठ) तक 4–लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–विशेष सचिव उ0प्र0 शासन का पत्रसंख्या–पी–135/81–2–2019–800(02)/2020 दिनॉक 16.01.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1421/ 11–सी–FP/UP/ROAD /41235/2019/दिनॉक 16.01.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 02 बिन्दुओं पर उ0प्र0 शासन द्वारा माँगी गयी आख्या लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–2 हमीरपुर से प्राप्तकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार आपकी सेवा में सादर प्रेषित हैः–

क्र0 सं0	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	जनपद–हमीरपुर में विलरायॉ–पनवाड़ी मार्ग (एस0 एच0– 21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) 4 लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में उल्लिखित मार्ग "विलरायॉ –पनवाड़ी मार्ग" का चौड़ीकरण शेष भाग में नही किया जा रहा है? स्पष्ट करें।	परियोजना की स्वीकृति चैनेज 398.000 से 427.000 तक है, परन्तु गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव चैनेज 399.600 से 427.000 तक भेजा गया है। क्योंकि उक्त भाग में 700 मीटर (2लैन) लम्बा पुल एवं दोनों तरफ पहुँच मार्ग है। जिसकी लम्बाई कुल 1600 मीटर है। जब तक दो लैन का दूसरा पुल निर्मित नही हो जाता, तब तक उक्त भाग में चार लैन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना औचित्यपूर्ण नही है।
2	यह भी स्पष्ट किया जाय कि परियोजना की स्वीकृति मार्ग चैनेज 398.600 से 427.000 तथा प्रस्ताव में प्रस्तावित मार्ग कि0मी0 399.600 से 427.000 में अन्तर क्यों है?	परियोजना की स्वीकृति चैनेज 398.000 से 427.000 तक है, परन्तु प्रस्ताव में प्रस्तावित मार्ग चैनेज 399.600 से 427.000 तक भेजा गया है। क्योंकि उक्त भाग में 700 मीटर (2लैन) लम्बा पुल एवं दोनों तरफ पहुँच मार्ग है। जिसकी कुल लम्बाई 1600 मीटर है। जब दो लैन का दूसरा पुल निर्मित नही हो जाता है तब तक उक्त भाग में चार लैन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना औचित्यपूर्ण नही है। इसलिए चैनेज 398.000 से 399.600 लम्बाई 1600 मीटर को उक्त भाग में सम्मिलित नही किया गया है।

संलग्नकः–अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड–'2
लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर का पत्रांक–99/सी–1/
दिनॉक 18.01.2020, लाइन डायग्राम, तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 हमीरपुर

पंत्राकः– 99 / C-1 दिनांकः– 18/01/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग,
हमीरपुर।

विषयः– जनपद हमीरपुर में बिलरायां–पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग–21) के चैनेज 399.600 से 427.00 (चिकासी से राठ) चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि व गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– शासन का पत्रांक–पी–135/81–2–2019–800(02)/2020 दिनांक 16 जनवरी, 2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना की स्वीकृति चैनेज 398.000 से 427.000 तक है। परन्तु वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव चैनेज 399.600 से 427.000 तक भेजा गया है क्योंकि उक्त भाग में 700 मीटर (दो लेन) लम्बा पुल एवं दोनों तरफ पहुँच मार्ग है। जिसकी कुल लम्बाई 1600 मीटर है।

अतः जब तक दो लेन का दूसरा पुल निर्मित नहीं हो जाता है, तब तक उक्त भाग में चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए चैनेज 398.000 से 399.600 लम्बाई 1600 मीटर को उक्त भाग में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः– 1. लाइन डायग्राम।
2. तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति।

FSC
18/01

अधिशाषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0,
हमीरपुर

मार्ग का नामः– जनपद हमीरपुर में बिलरायां–पनवाड़ी मार्ग (SH-21) के चैनेज 398.000 से 427.000 (चिकासी से राठ) चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

वर्तमान पुल एवं एप्रोच

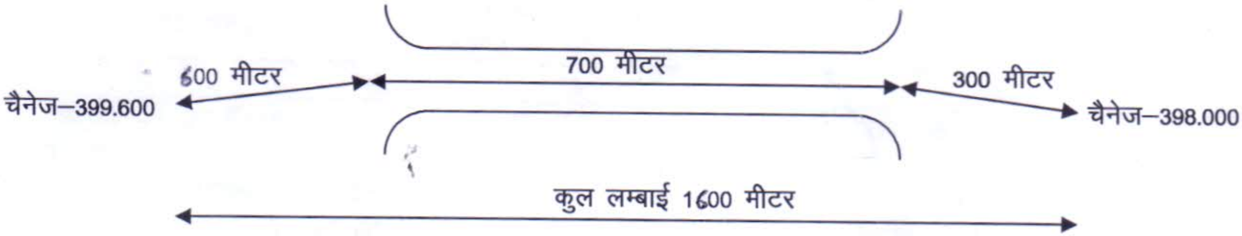

भविष्य में प्रस्तावित पुल एवं एप्रोच

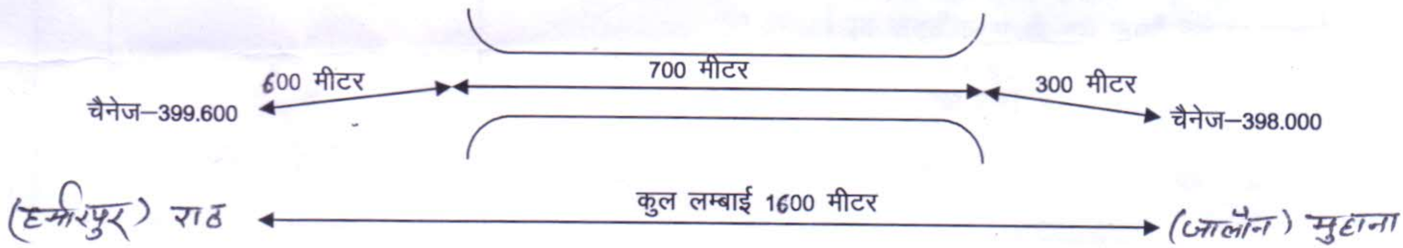

अवर अभियन्ता निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 हमीरपुर	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 हमीरपुर	अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 हमीरपुर

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
चित्रकूटधाम (बाँदा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बाँदा

पत्रांक :- 2960/ 10 याता०-बाँ०क्षे०/18 दिनांक :-22/12/2018

कार्यालय-ज्ञाप

निम्नलिखित आगणन की प्राविधिक स्वीकृति उसके सामने अंकित धनराशि के लिये एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्रम सं0	कार्य का नाम/विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का पत्रांक/दिनांक	लेखा शीर्षक
1	2	3	4
1	वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत बिलराया पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग- 21) के चैनेज 398.000 से 427.000 (चिकासी से राठ) तक 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (स्वी0 लम्बाई 28.30 किमी एवं स्वी0 लागत रू0 12062.89 लाख)	शा0सं0-170/2018/56(1)/23-11-18-1/2(68)/2018 दि0 06.09.18 (स्वी0 लम्बाई 28.30 किमी एवं स्वी0 लागत रू0 12062.89 लाख)	अनुदान सं0 58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूजींगत परिव्यय-- 03-राज्य राज मार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था - 0306-राज्य राज मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय--03-राज्य राजमार्ग--789 --अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

प्राविधिक स्वीकृति की लम्बाई (किमी0)	प्राविधक स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	प्राविधिक स्वीकृति रजिस्टर की संख्या
5	6	7
28.300 किमी0	रू0 12062.89 लाख (रूपया एक अरब बीस करोड़ वासठ लाख नवासी हजार मात्र)	44 -बाँ0क्षे0-राज्य योजना /नि0ख0-2, हमीरपुर/ 18-19 दि 22-12-2018

प्राविधिक स्वीकृति उपरान्त आगणन की प्रति संलग्नकर तकनीकी नोट सहित भेजी जा रही है।

संलग्न :- **आगणन एक प्रति में।**

(एस०के० सुल्तानिया)
मुख्य अभियन्ता
चि.धा.(बाँदा) क्षेत्र, लो.नि.वि., बाँदा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अधीक्षण अभियन्ता, बाँदा वृत्त, लो0नि0वि0, बाँदा के पत्रांक 7321(1)/8सी-बां.वृ./18 दिनांक 22.12.18 के क्रम में आगणन की एक प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- आगणन की एक प्रति।

3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, हमीरपुर।
4- अवर अभियन्ता (प्रा0), कार्यालय मुख्य अभियन्ता, बांदा क्षेत्र, लो0नि0वि0, बांदा।

मुख्य अभियन्ता
चि.धा.(बाँदा) क्षेत्र, लो.नि.वि., बाँदा